BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

(PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI)

ORIGINAL APPLICATION NO. 52/2026

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED *"NOIDA CEO REMOVED CM ORDERS SIT PROBE INTO TECHIE'S DROWNING"*

INDEX

S.No	Particulars	Page No.
1.	Reply On Behalf Of The Respondent -Irrigation Department, Uttar Pradesh	1-11
2.	**Annexure P/1:-** True copy of letter dated 28.08.2015 issued by NOIDA requesting construction of regulator	12
3.	**Annexure P/2:-** True copy of letter dated 03.02.2016 issued by NOIDA providing funds for design and drawing	13
4.	**Annexure P/3:-** True copy of estimate letter dated 14.02.2017 submitted for in-principle approval	14

5.	**Annexure P/4:-** True copy of letter dated 27.03.2017 issued by NOIDA seeking revision of estimate	15
6.	**Annexure P/5:-** True copy of revised estimate dated 04.05.2017 submitted by Irrigation Department	16-17
7.	**Annexure P/6:-** True copy of letter dated 15.02.2018 issued by NOIDA raising objections	18
8.	**Annexure P/7:-** True copy of revised estimate dated 18.05.2018 submitted after addressing objections	19
9.	**Annexure P/8 (Colly):-** True copy of objections raised dated 21.08.2018 and revised estimate dated 07.09.2018	20-21
10.	**Annexure P/9:-** True copy of letter dated 28.02.2019 issued by NOIDA suggesting alternative options	22
11.	**Annexure P/10:-** True copy of letter dated 23.04.2019 issued by Irrigation Department reiterating necessity of regulator	23
12.	**Annexure P/11:-** True copy of revised estimate dated 30.09.2020 submitted as per updated parameters	24
13.	**Annexure P/12:-** True copy of letter dated 09.10.2023 seeking funds and data for re-survey and redesign	25
14.	**Annexure P/13:-** True copy of letter dated 24.04.2025 issued by NOIDA providing funds for revised design	26

15.	**Annexure P/14:-** True copy of revised estimate dated 25.08.2025 submitted for approval	27
16.	**Annexure P/15:-** True copy of letter dated 30.01.2026 issued by NOIDA granting in-principle approval	28-29
17.	**Annexure P/16:-** True copy of revised estimate dated 09.02.2026 submitted for execution	30
18.	**Annexure P/17:-** True copy of letter dated 13.02.2026 forwarding draft MoU for approval	31

Date:19**/0**7**/2026** **THROUGH**

Place: New Delhi

Priyanka Swami
Advocate
Standing Counsel For State of U.P
F-13, Jangpura, New Delhi
110014

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

(PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI)

ORIGINAL APPLICATION NO. 52/2026

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED *"NOIDA CEO REMOVED CM ORDERS SIT PROBE INTO TECHIE'S DROWNING"*

REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT -IRRIGATION DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the Answering Respondent is filing the present reply in compliance with the directions passed by this Hon'ble Tribunal vide its latest order and is fully conversant with the facts and circumstances of the present case on the basis of official records maintained in the ordinary course of business. The deponent is duly authorized and competent to swear this affidavit on behalf of the Department.
2. That at the very outset, it is most respectfully submitted that the subject matter emanating from the news item in question does not

directly pertain to the functional domain, statutory mandate, or operational responsibilities of the Irrigation and Water Resources Department. The role of the Answering Respondent has been limited, specific, and confined to technical assistance as and when requisitioned by the concerned authority, namely the New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA), and therefore any adverse inference against the Answering Respondent would be wholly misconceived and untenable in law.

3. That it is submitted that for the purposes of drainage of rainwater in the sectors developed by NOIDA, a request was initially made to the Irrigation Department for construction of a regulator of 16.66 cumec capacity at Sector-150, vide letter dated 28.08.2015. The said request marked the inception of the involvement of the Answering Respondent in the present matter. **True copy of letter dated 28.08.2015 issued by NOIDA requesting construction of regulator is attached herewith and marked as Annexure P/1.**

4. That thereafter, in furtherance of the aforesaid request, NOIDA vide its letter dated 03.02.2016 sanctioned and provided a sum of Rs. 15.00 lakh to the Irrigation Department for preparation of the design and drawing of the proposed regulator, thereby

acknowledging and initiating the technical process. **True copy of letter dated 03.02.2016 providing funds for design and drawing is attached herewith and marked as Annexure P/2.**

5. That upon receipt of the requisite data and funds, the Irrigation Department diligently undertook the exercise of preparing the design and drawings, and based on the discharge data so provided, an estimate amounting to Rs. 2083.31 lakh was duly prepared and forwarded to NOIDA for in-principle approval of funding vide letter dated 14.02.2017. **True copy of estimate letter dated 14.02.2017 is attached herewith and marked as Annexure P/3.**

6. That subsequently, NOIDA vide its letter dated 27.03.2017 raised certain queries and sought revision of the estimate, thereby necessitating reconsideration and recalibration of the proposal. **True copy of letter dated 27.03.2017 seeking revision of estimate is attached herewith and marked as Annexure P/4.**

7. That in compliance with the aforesaid request, the Irrigation Department revised the estimate and resubmitted the same amounting to Rs. 1646.92 lakh vide letter dated 04.05.2017 after addressing the concerns raised. **True copy of revised estimate**

dated 04.05.2017 is attached herewith and marked as Annexure P/5.

8. That it is pertinent to submit that despite repeated follow-ups and clarifications furnished by the Irrigation Department from time to time, the matter remained pending at the end of NOIDA for grant of in-principle approval, and such approval was not forthcoming for a considerable period, thereby causing unavoidable delay beyond the control of the Answering Respondent.

9. That thereafter, NOIDA vide its letter dated 15.02.2018 returned the proposal after an inordinate delay of nearly one year, raising further objections. **True copy of letter dated 15.02.2018 raising objections is attached herewith and marked as Annexure P/6.**

10. That in response thereto, the Irrigation Department once again revised the estimate and submitted the same vide letter dated 18.05.2018 amounting to Rs. 1836.98 lakh after due consideration of all objections. **True copy of revised estimate dated 18.05.2018 is attached herewith and marked as Annexure P/7.**

11. That even thereafter, further objections were raised by NOIDA development authority vide letter dated 21.08.2018, which were

duly addressed, and a revised estimate amounting to Rs. 1837.84 lakh was submitted vide letter dated 07.09.2018. **True copy of objections raised dated 21.08.2018 and revised estimate dated 07.09.2018 is attached herewith and marked as Annexure P/8.(colly)**

12. That it is further submitted that NOIDA vide its letter dated 28.02.2019 suggested exploration of alternative options in place of the regulator; however, upon detailed technical evaluation, the Irrigation Department categorically opined that construction of a regulator was the only technically viable and sustainable solution. **True copy of letter dated 28.02.2019 suggesting alternatives is attached herewith and marked as Annexure P/9.**

13. That the said position was unequivocally reiterated by the Irrigation Department vide letter dated 23.04.2019, thereby reaffirming the necessity of the regulator. **True copy of letter dated 23.04.2019 reiterating necessity of regulator is attached herewith and marked as Annexure P/10.**

14. That thereafter, in a meeting held on 04.09.2020 under the aegis of NOIDA authorities, it was decided that the estimate be revised in accordance with updated parameters and prevailing schedules.

15. That pursuant thereto, the Irrigation Department revised the estimate and submitted the same amounting to Rs. 2525.67 lakh vide letter dated 30.09.2020. **True copy of revised estimate dated 30.09.2020 is attached herewith and marked as Annexure P/11.**

16. That it is submitted that after an inexplicable lapse of time, a joint site inspection was conducted on 04.10.2023 by officers of NOIDA and the Irrigation Department, wherein significant changes in ground realities were observed, including increased load on the drainage system.

17. That during the said inspection, it was mutually concluded that the existing design required substantial modification, particularly replacement of mechanical gates with hydraulic and pneumatic systems, in view of enhanced operational requirements and increased discharge.

18. That consequently, the discharge capacity requirement was revised to 43.79 cumec due to addition of further sectors being connected to the drain, necessitating a comprehensive redesign of the regulator.

19. That in furtherance thereof, the Irrigation Department vide letter dated 09.10.2023 sought requisite data and funds amounting to Rs.

30.00 lakh for conducting re-survey and preparation of fresh design and drawings. **True copy of letter dated 09.10.2023 seeking funds and data is attached herewith and marked as Annexure P/12.**

20. That thereafter, NOIDA provided the requisite funds vide letter dated 24.04.2025 for carrying out the revised technical exercise. **True copy of letter dated 24.04.2025 providing funds is attached herewith and marked as Annexure P/13.**

21. That upon completion of the revised technical exercise, a fresh estimate considering the enhanced discharge was submitted vide letter dated 25.08.2025 for in-principle and financial approval. **True copy of revised estimate dated 25.08.2025 is attached herewith and marked as Annexure P/14.**

22. That despite multiple communications and persistent follow-ups by the Irrigation Department, the approval remained pending and was ultimately granted by NOIDA vide letter dated 30.01.2026. **True copy of approval letter dated 30.01.2026 is attached herewith and marked as Annexure P/15.**

23. That thereafter, a further revised estimate amounting to Rs. 3139.66 lakh was submitted vide letter dated 09.02.2026 in consonance with updated technical specifications and increased

discharge requirements. **True copy of revised estimate dated 09.02.2026 is attached herewith and marked as Annexure P/16.**

24. That it is further submitted that a draft Memorandum of Understanding (MoU) was prepared and forwarded vide letter dated 13.02.2026 for necessary financial approval and execution at the level of NOIDA. **True copy of letter dated 13.02.2026 forwarding draft MoU is attached herewith and marked as Annexure P/17.**

25. That from the aforesaid chronological narration, it is manifestly evident that the Answering Respondent has acted with due diligence, promptitude, and in complete adherence to procedural and technical requirements, and that any delay in execution of the project is attributable to administrative approvals, revisions, and decisions at the level of NOIDA.

26. That in view of the above, it is most respectfully submitted that no manner of negligence, omission, or dereliction of duty can be attributed to the Answering Respondent, and the Department has consistently discharged its obligations in a timely and responsible manner.

27. That the present reply is being filed bona fide and in compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal, and the Answering Respondent undertakes to render full cooperation in any further proceedings, if so required.

Through

Irrigation Dept, State of U.P.

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

(PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI)

ORIGINAL APPLICATION NO. 52/2026

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED *"NOIDA CEO REMOVED CM ORDERS SIT PROBE INTO TECHIE'S DROWNING"*

AFFIDAVIT

I, Rajkumar Vern, aged about 57 years, S/o Shri Nanak Chand Vern, is presently posted as Irrigation Construction Division, Ghaziabad, Uttar Pradesh, having an office at Ghaziabad, Uttar Pradesh.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Hon'ble Tribunal.
2. That the accompanying reply has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying reply are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

The Seal of Notary Public
RENU AGRAWAL
Regd. No. 17806/2019
My Commission
Expire on 23/12/2029
Appointed by Govt. of India

The Seal of Notary Public
RENU AGRAWAL
Regd. No. 17806/2019
My Commission
Expire on 23/12/2029
Appointed by Govt. of India

DEPONENT

VERIFICATION

03 APR 2026

Verified on solemn affirmation at **................**on this **April, 2026**, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Adv Priyanka Swami

I Identified the deponent Who has signed in my presence

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
(INDIA)

DEPONENT

03 APR 2026

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
मुख्य प्रशासनिक भवन,
सैक्टर–6, नौएडा,
जिला गौतमबुद्ध नगर – 201301

NOIDA

NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
Main Administrative Building,
Sector-VI, NOIDA
Distt. Gautam Budh Nagar - 201301

कार्यालय मुख्य परियोजना अभियन्ता, सैक्टर–6, नौएडा

पत्रांकः नौएडा/मु0प0अ0/2015/ 563
दिनांकः 28-08-15

(सिंचाई निर्माण खण्ड, आवक सं0 2710, दिनांक 01/09/15, गाजियाबाद)

मुख्य अभियन्ता (गंगा)
सिंचाई विभाग, मेरठ
जेल चुंगी रोड, विक्टोरिया पार्क
मेरठ, उत्तर प्रदेश

विषयः– नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सैक्टर–150 का बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाह करने के सम्बन्ध में।

कृपया संज्ञान में लाना है कि नौएडा–ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस–वे एवं हिण्डन, यमुना बांध के मध्य भूमि पर स्पोर्ट सिटी सैक्टर–150 का विकास नौएडा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इस सैक्टर का भूमितल निम्नस्थ होने के कारण बरसाती पानी का प्रवाह हिण्डन नदी में ही किया जाना सम्भव है, जो एक्सप्रेस–वे मार्ग के किनारे से 0.520 कि0मी0 दूरी में यथास्थान से हिण्डन बांध को क्रास करना होगा। उपरोक्त एकल सम्भावना के अतिरिक्त गुरूत्व प्रवाह के लिये अन्य विकल्प नहीं है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि सैक्टर–150 व आस–पास के बरसाती पानी के स्राव को हिण्डन नदी में प्रवाह किये जाने के लिये हिण्डन बांध क्रास करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अनुमति की दशा में यह भी अनुरोध है कि बांध के पास यदि रेगुलेटर बनाये जाने की आवश्यकता हो तो कार्य का प्राक्कलन भी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे प्राक्कलानुसार सिंचाई विभाग के पक्ष में धनराशि अवमुक्त करने हेतु निर्णय लिया जा सके।

Shiv Kumar J.E. वार्ता करें।

मुख्य परियोजना अभियन्ता
नौएडा

प्रतिलिपिः–
1. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस) महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. परियोजना अभियन्ता, वर्क सर्किल–10, नौएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अधीक्षण अभियन्ता (प्रथम सर्किल) सिंचाई विभाग मेरठ को सूचनार्थ।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, कविनगर, गाजियाबाद, को स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

मुख्य परियोजना अभियन्ता
नौएडा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड–
गाजियाबाद
पत्रांक 1745 / सिं० नि० खण्ड गा०बाद / अनापत्ति / दि० 02/09/15
प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता–चतुर्थ सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि प्रश्नगत प्रकरण पर विस्तृत रिपोर्ट कार्यस्थल का निरीक्षण कर प्रेषित करने का कष्ट करें।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय परियोजना अभियन्ता, वर्क सर्किल–10, सैक्टर–6, नौएडा

पत्रांकः नौएडा/परि.अभि.–व.स.–10/16/1198
दिनांकः 03-02-16

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड
कवि नगर गाजियाबाद

विषयः– नवीन ओखला ओद्यौगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सैक्टर–150 के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाह करने के सम्बन्ध में।

कृपया आप अपने कार्यालय पत्र सं0 1865/सि.नि.खं.गा.बाद/अनापत्ति पत्र दिनांक 21.09.2015 एवं पत्र सं0 2412/सि.नि.खं.गा.बाद/अनापत्ति पत्र दिनांक 14.12.2015 का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसमें उपरोक्त कार्य हेतु आप द्वारा रु0 15.00 लाख की मांग की गई थी। मुख्य परियोजना अभियन्ता नौएडा के पत्र सं0 नौएडा/मु0प0अ0/2015/563 दिनांक 28.08.2015 के परिपेक्ष्य में सर्वेक्षण, डिजाईन एवं ड्राईंग आदि के कार्य हेतु धनराशि रु0 15.00 लाख पर टैक्स काटते हुए रु0 13,50,000.00 का पंजाब नेशनल बैंक का चैक सं0 210642 दिनांक 01.02.2016 पत्र के साथ संलग्न है। कृपया हिण्डन बांध पर बरसाती पानी के प्रवाह हेतु रेगुलेटर बनाये जाने एवं हिण्डन बांध क्रास करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें:–

आपके पत्र दिनांक 21.09.2015 के परिपेक्ष में मांगी गई सूचना निम्न प्रकार है:–

1. नालों का डिस्चार्ज – 16.66 क्यूसेक (क्यूमेक्स) ✓
2. नालों का सैक्शन/लम्ब छिन्नक – संलग्न है।
3. नालों का स्लोप एवं बन्धे के पास नालों के बैड लेविल आदि – सैक्शन संलग्न है।
4. प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत प्लान – संलग्न है।

संलग्नकः–
1. चैक सं0 210642
2. बाउचर (विवरण सहित) छायाप्रति।
3. उपरोक्तानुसार विवरण एवं विस्तृत प्लान, (1 से 4 तक)।

(एम0सी0 त्यागी)
परियोजना अभियन्ता
व0स0–10, नौएडा

प्रतिलिपि :–
1. मुख्य अभियन्ता नौएडा महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल गाजियाबाद।
3. सहायक परियोजना अभियन्ता (एम) वर्क सर्किल–10, नौएडा।
4. खण्डीय लेखाकार, वर्क सर्किल–10, नौएडा।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।

परियोजना अभियन्ता
व0स0–10, नौएडा

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

/सिनिखगा/

दिनांक : / /2016

विषय : नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सेक्टर–150 के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाह करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका पत्रांक–नौएडा/प.स.–व.स.–10/16/695 दि. 18.10.2016

मुख्य परियोजना अभियन्ता, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रशासनिक भवन, सेक्टर–6, नौएडा, गौतमबुद्धनगर।

अवगत कराना है कि आपके द्वारा विकसित सेक्टर–150 का भूमितल निम्नस्थ होने के कारण उक्त सैक्टर व आस–पास के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने (एकल सम्भावना) हेतु हिण्डन यमुना दोआब बंध को क्रास कर बंध के पास रेगुलेटर बनाये जाने–का अनुरोध आपके द्वारा किया गया था। तत्पश्चात् एक प्रख्यात एजेन्सी के माध्यम से रेगूलेटर का डिजाइन (IIT, Delhi द्वारा vetted) एक प्राक्कलन "Project estimate for Construction of Regulator at Km. 12.000 on Hindon Yamuna Doab Bund for Outlet of Storm Water for Sector-150, Noida, in Distt. Gautambudh Nagar" तैयार कराया गया, जिसकी अनुमानित लागत रु. 2083.31 लाख है। परियोजना में भूमि की लागत सम्मिलित नहीं है।

संलग्न परियोजना वित्त पोषण की सैद्धांतिक सहमति हेतु प्रेषित की जा रही है, ताकि परियोजना को उच्चधिकारियों को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

पत्रांक : 372 /सिनिखगा/तदिनांक 14/02/17

प्रतिलिपि

1. मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, ओखला, नई दिल्ली–110025 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि परियोजना प्रबन्धक, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रशासनिक भवन, सेक्टर–6, नौएडा, गौतमबुद्धनगर से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
मुख्य प्रशासनिक भवन,
सैक्टर–6, नौएडा,
जिला गौतमबुद्ध नगर – 201301

NOIDA

OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
Main Administrative Building,
Sector- VI, NOIDA
Distt. Gautam Budh Nagar - 201301

कार्यालय परियोजना अभियन्ता, वर्क सर्किल–10, सैक्टर–6, नौएडा

पत्रांक :नौएडा / परि0अभि0(व0स–10) / 2017 / 1502
दिनांक . 27-03-17

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड–गाजियाबाद

विषय : नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सैक्टर–150 में बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाह करने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नौएडा प्राधिकरण में कार्यो के आगणन गठन करने हेतु केन्द्रीय विभाग निर्माण विभाग द्वारा जारी डी0एस0आर0–2013 प्रचलन में है। अतः आप द्वारा प्रेषित आगणन में डी0एस0आर0–2013 के आधार पर संशोधन की आवश्यकता है। सैक्टर–150 के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाह करने सम्बन्धी रेगुलेटर बनाये जाने एवं रेगुलेटर से हिण्डन नदी तक बनाई जाने वाली ड्रैन का आगणन डी0एस0आर0–2013 की दरों के आधार पर अलग–अलग गठित करते हुए आगणन धनराशि को संकलित कर अनुमानित लागत से अवगत कराने का कष्ट करें, जिसकी सैद्वान्तिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर एम0ओ0यू0 का गठन किया जा सकें।

27/3/17
वरिष्ठ परियोजना अभियन्ता
वर्क सर्किल–10, नौएडा

प्रतिलिपिः–
1. मुख्य अभियन्ता महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, ओखला, नई दिल्ली–110025 को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद को सूचनार्थ।
4. सहायक परियोजना अभियन्ता–एम,वर्क सर्किल–10, नौएडा।

वरिष्ठ परियोजना अभियन्ता
वर्क सर्किल--10, नौएडा

सिंचाई निर्माण ... 833
दिनांक 31-03-17

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-5
1502

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

पत्रांक : /सिनिखगा/ दिनांक : / /2017

विषय : नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सेक्टर–150 के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाह करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका पत्रांक–नौएडा/परि.अभि.(व.स.–10)/2017/1502 दि. 27.03.2017

मुख्य परियोजना अभियन्ता, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रशासनिक भवन, सेक्टर–6, नौएडा, गौतमबुद्धनगर।

अवगत कराना है कि आपके द्वारा विकसित सैक्टर–150 के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने हेतु हिण्डन यमुना दोआब बंध को क्रास कर बंध के पास रेगुलेटर एवं रेगूलेटर से हिण्डन नदी तक ड्रेन बनाये जाने का अनुरोध आपके द्वारा किया गया था। तत्पश्चात् एक प्रख्यात एजेन्सी के माध्यम से रेगूलेटर का डिजाइन (IIT, Delhi द्वारा vetted) एक प्राक्कलन "Project estimate for Construction of Regulator at Km. 12.000 on Hindon Yamuna Doab Bund for Outlet of Storm Water for Sector-150, Noida, in Distt. Gautambudh Nagar" तैयार कराया गया, जिसकी अनुमानित लागत रु. 2083.31 लाख थी, किन्तु सन्दर्भित पत्र द्वारा आगणन को नौएडा विकास प्राधिकरण में कार्यों के लिये प्रचलित केन्द्रीय निर्माण विभाग के द्वारा जारी DSR-2013 के अनुसार संशोधित करने का आग्रह किया गया है।

अतः उक्त सन्दर्भित पत्र के सापेक्ष नौएडा विकास प्राधिकरण में प्रचलित DSR-2013 एवं विभागीय विश्लेषित दरों के आधार पर संशोधित आगणन की अनुमानित लागत रु. 1646.92लाख है। परियोजना में भूमि की लागत सम्मिलित नहीं है।

संलग्नक संशोधित परियोजना वित्त पोषण की सैद्धांतिक सहमति हेतु प्रेषित की जा रही है। ताकि परियोजना को उच्चाधिकारियों की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

पत्रांक : 993 /सिनिखगा/तदिनांक 04-05-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, ओखला, नई दिल्ली–110025 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि परियोजना प्रबन्धक, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रशासनिक भवन, सेक्टर–6, नौएडा, गौतमबुद्धनगर से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

पत्रांक : /सिनिखगा/ दिनांक : / /2016

विषय : नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकरित सेक्टर–150 के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाह करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका पत्रांक–नौएडा/प.स.–व.स.–10/16/695 दि. 18.10.2016

मुख्य परियोजना अभियन्ता, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रशासनिक भवन, सेक्टर–6, नौएडा, गौतमबुद्धनगर।

अवगत कराना है कि आपके द्वारा विकसित सेक्टर–150 का भूमितल निम्नस्थ होने के कारण उक्त सैक्टर व आस–पास के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने (एकल सम्भावना) हेतु हिण्डन यमुना दोआब बंध को क्रास कर बंध के पास रेगुलेटर बनाये जाने का अनुरोध आपके द्वारा किया गया था। तत्पश्चात् एक प्रख्यात एजेन्सी के माध्यम से रेगूलेटर का डिजाइन (IIT, Delhi द्वारा vetted) एक प्राक्कलन "Project estimate for Construction of Regulator at Km. 12.000 on Hindon Yamuna Doab Bund for Outlet of Storm Water for Sector-150, Noida, in Distt. Gautambudh Nagar" तैयार कराया गया, जिसकी अनुमानित लागत रु. 2083.31 लाख है। परियोजना में भूमि की लागत सम्मिलित नहीं है।

संलग्न परियोजना वित्त पोषण की सैद्धांतिक सहमति हेतु प्रेषित की जा रही है, ताकि परियोजना को उच्चधिकारियों को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

पत्रांक : 372 /सिनिखगा/तदिनांक 14/02/17

प्रतिलिपि

1. मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, ओखला, नई दिल्ली–110025 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि परियोजना प्रबन्धक, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रशासनिक भवन, सेक्टर–6, नौएडा, गौतमबुद्धनगर से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

सलग्नक-7

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
कार्यालय परियोजना अभियन्ता, वर्क सर्किल-10, सैक्टर-6, नौएडा

पत्रांकः नौएडा/प.अ.-व.स.-10/18/2459
दिनांकः 15/02/18

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड
गाजियाबाद

विषयः-नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सैक्टर-150 में बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने के सम्बन्ध में।

कृपया उक्त विषयक आपके द्वारा पत्रांक 68/सिनिखगा/दिनांक 09.01.2018 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत परियोजना के सम्बन्ध में परियोजना अभियन्ता (टी0ए0सी0) द्वारा निम्न विन्दुओं पर कार्यवाही की वांछना की गई है:-

अ) 1. आगणन में मदों की भाषा डी0एस0आर0-2013 के अनुरूप ली जाये।
2. आगणन डी.एस.आर.-2013 पर गठित किया गया है। अतः समस्त सामग्रियां, लेबर इत्यादि की दरें जो डी.एस.आर.-13 में सम्मिलित हैं उनको डी.एस.आर.-2013 के आधार पर ही लिया जाना है।
3. आगणन में सम्मिलित ए.ओ.आर. में VAT/Trade Tax के स्थान पर GST का प्राविधान किया जाये।
4. आगणन में मूल कुटेशन लगायी जायें।
5. आगणन में मिट्टी भराव के मद में ली गयी Royalti का आधार क्या है।

ब) उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.02.2018 को मुख्य अनुरक्षण अभियन्ता (सिविल) महोदय, नौएडा प्राधिकरण, नौएडा के कार्यालय कक्ष में उक्त परियोजना पर आपसे हुई मिटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि वर्षा ऋतु में हिण्डन नदी का Water level अधिक होने की दशा में नौएडा के सैक्टरों के पानी की निकासी हेतु प्रस्तावित रेगुलेटर के साथ पम्पिंग स्टेशन की व्यवस्था किया जाना उचित होगा। अतः उक्त प्रेषित परियोजना में पम्पिंग व्यवस्था को भी सम्मिलित कर लिया जाये।

अतः अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं पर यथाशीघ्र कार्यवाही करते हुए संशोधित परियोजना यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(signature)
परियोजना अभियन्ता
वर्क सर्किल-10, नौएडा

प्रतिलिपिः-
1. मुख्य अभियन्ता (सिविल) महोदय को सूचनार्थ।
2. मुख्य अनुरक्षण अभियन्ता (सिविल) महोदय को सूचनार्थ एवं उक्त मिटिंग में लिए गए निर्णय के क्रम में।
3. सहायक परियोजना अभियन्ता (ए) वर्क सर्किल-10, नौएडा।
4. श्री अनिल कुमार शर्मा, अवर अभियन्ता (संविदा), को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

परियोजना अभियन्ता
वर्क सर्किल-10, नौएडा

(handwritten endorsements and stamps:) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

पत्रांक 2665/सि.नि.ख.गा. / दि. 23/02/18
प्रतिलिपि- सहा. अभि. ... को इस आशय से प्रेषित ... कार्यवाही करें।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड
गाजियाबाद

संलग्नक-8

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

पत्रांक : /सिनिखगा/ दिनांक : / /2018

विषय : नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सेक्टर–150 के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाह करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका पत्रांक–नौएडा/परि.अभि.(व.स.–10)/2018/2459 दि०15.02.2018 एवं नौएडा/परि.अभि.(व.स.–10)/2018/25 दि० 05.04.2018

<u>परियोजना अभियन्ता, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रशासनिक भवन, सेक्टर–6, नौएडा, गौतमबुद्धनगर।</u>

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें कुछ बिन्दुओं पर कार्यवाही की अपेक्षा की गई है। इस सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार है :–

अ)1 आगणन में प्रयुक्त मदों में से जो मद डी.एस.आर.–2013 में उपलब्ध है। उन मदों की भाषा डी.एस.आर.–2013 से ही ली गयी हैं। अन्य मदों की भाषा सिंचाई विभाग में प्रचलित एस.ओ.आर. से ली गयी हैं।

2 आगणन में प्रयुक्त मदों में से जिन मदों में सामग्रियां एवं लेवर इत्यादि की दरें डी.एस.आर. –2013 में उपलब्ध हैं। उन मदों में सामग्रियां एवं लेवर इत्यादि की दरें डी.एस.आर. –2013 से ही ली गयी हैं। अन्य मदों में सामग्रियां एवं लेवर इत्यादि की दरें सिंचाई विभाग में प्रचलित एस.ओ.आर. से ली गयी हैं।

3 आगणन में जी.एस.टी. का प्राविधान कर दिया गया है।

4 आगणन में कुटेशन की मूल प्रति हीं पूर्व में आपको उपलब्ध करायी गयी परियोजना की मूल कापी में लगायी गयी हैं, जोकि भौतिक रूप से आपके कार्यालय में दिखा दी गई हैं।

5 आगणन में मिट्टी भराव के मद में रायल्टी प्रचलित दरों के अनुसार ही ली गयी हैं।

ब)1 प्रस्तावित परियोजना में पम्पिंग व्यवस्था हेतु स्टाफ के लिये हटमेन्ट का प्राविधान कर दिया गया है।

अतः आप द्वारा सन्दर्भित बिन्दुओं का निराकरण कर संशोधित परियोजना रु. 1836.98 लाख की तैयार कर वित्त पोषण की सैद्धांतिक सहमति हेतु पुनः प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

<u>पत्रांक : 1581 /सिनिखगा/तदिनांक</u> 18-05-18

प्रतिलिपि :–

1 मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, ओखला, नई दिल्ली–110025 को सूचनार्थ प्रेषित।

2 अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

3 सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि परियोजना प्रबन्धक, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रशासनिक भवन, सेक्टर–6, नौएडा, गौतमबुद्धनगर से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

Shan8/2014 Letter 455

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-9

3458

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–10, सैक्टर–6, नौएडा

पत्रांकः नौएडा/व.प्र.(व.स.–10)/2018/777
दिनांकः 21-08-18

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड
शास्त्रीनगर, गाजियाबाद

विषयः–नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सैक्टर–150 में बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा पत्र सं0 1581/सिनिखगा./ दिनांक 18.05.2018 के माध्यम से प्रस्तुत, परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त परियोजना डी0एस0आर0–2013 पर गठित है। नौएडा प्राधिकरण में वर्तमान में डी0एस0आर0–2016 (मिट्टी से सम्बन्धित मदों को छोड कर) लागू की जा चुकी है।

अतः उक्त योजना को डी0एस0आर0–2016 एवं प्राधिकरण में लागू मिट्टी की दरों को सम्मिलित करते हुए पुनःरीक्षित परियोजना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही यथाशीघ्र की जा सके।

उप महाप्रबन्धक
वर्क सर्किल–10, नौएडा

प्रतिलिपिः–
1. महाप्रबन्धक (एस) महोदय को सूचनार्थ।
2. प्रबन्धक (ए), वर्क सर्किल–10, नौएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप महाप्रबन्धक
वर्क सर्किल–10, नौएडा

सहायक अभियन्ता
27/08/18

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

पत्रांक- 2837 दिनांक 28-08-18

P.T.O

संलग्नक-10

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड,
गाजियाबाद।

प्रेषित,

उप महाप्रबन्धक (वर्क सर्किल–10) 10-9-18
नवीन ओखला औधौगिक विकास प्राधिकरण,
प्रशासनिक भवन, सै0–6, नौएडा।

पत्रांक : 2966 / सिनिखगा / दिनांक : 07-09-18

विषय : नवीन ओखला औधौगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सैक्टर–150 के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाह करने के सम्बन्ध में।.

संदर्भः–आपका पत्रांक–नोएडा / व0प्र0(व0स0–10) / 2018 / 777 दिनांक 21.08.18

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे, जिसमें आपके द्वारा उक्त विषयक परियोजना को प्राक्कलन में प्रयुक्त डी0एस0आर0–2013 की दरों के स्थान पर डी0एस0आर0–2016 की दरों पर संशोधित कर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त विषयक परियोजना डी0एस0आर0–2016 की दरों के आधार पर संशोधित कर तकनीकि अधिकारी की संस्तुति सहित धनराशि रु0 1837.84 लाख की आपको सैद्धांतिक सहमति एवं वित्त पोषण के लिये प्रेषित है।

सलंग्नकः– उपरोक्तानुसार

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

पत्रांक : 2966 / सिनिखग / तदिनांक : 07-09-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य अभियन्ता(यमुना),सिंचाई एवं जल संसाधन, ओखला।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।
3. सहायक अभियन्ता (चतुर्थ), सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है। कि उप महाप्रबन्धक (वर्क सर्किल–10) नवीन ओखला औधौगिक विकास प्राधिकरण,नोएडा से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करे।

कार्यालय उप महाप्रबन्धक वर्क सर्किल-10, नोएडा

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

संलग्नक 11

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–10, सैक्टर–6, नौएडा

पत्रांकः नौएडा/व.प्र.(व.स.–10)/2019/1686
दिनांकः 28/2/19

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड
शास्त्रीनगर, गाजियाबाद
(थाना कविनगर के सामने)

सिंचाई निर्माण खण्ड 909 6/3/19 गाजियाबाद

विषयः–नौएडा ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस–वे के दांयी ओर स्थित नाले के पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित किये जाने की योजना।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अवगत कराना है कि नौएडा ग्रेटर–नौएडा एक्सप्रेस–वे के दांयी ओर स्थित नाले के पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित किये जाने हेतु रेगुलेटर एवं रेगुलटर के डाउन स्ट्रीम में नाला निर्माण किये जाने हेतु एक कार्ययोजना प्रस्तुत की गई थी। प्रश्नगत परियोजना पर विचार विमर्श हेतु महाप्रबन्धक (के) महोदय के कार्यालय कक्ष में आपसे हुई वार्ता में प्रश्नगत रेगुलेटर के स्थान पर अन्य विकल्पों पर विचार करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जो आज दिनांक 27.02.2019 मे अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि नौएडा ग्रेटर नौएडा के एक्सप्रेस–वे के दांयी ओर स्थित नाले के पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित किये जाने हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना में रेगुलेटर के स्थान पर अन्य विकल्प पर विचार करते हुए प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(एस0 पी0 सिंह)
वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल–10, नौएडा

सहा0 अभि0
07/03/19

14-3-19

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

पत्रांक– 688 /सि0नि0ख0/ दिनांक 7/3/19

[illegible]

अधिशासी अभियन्ता 7/3/19
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-12

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

पत्रांक : /सिनिखगा/डी/व.स.-10/बैक रेगुलेटर दिनांक : /04/2019

विषय : नौएडा ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस-वे के दांयी ओर स्थित नाले के पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक-नोएडा/व.स.(व.स.-10)/2019/1875 दि०15.04.19

वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-10, नौएडा, गौतमबुद्धनगर।

उपरोक्त विषयक पत्र के माध्यम से रेगुलेटर के स्थान पर अन्य विकल्पों पर विचार करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण पर विभागीय उच्चाधिकारियों से वार्ता की गयी। वार्ता के उपरान्त उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि उक्त स्थल पर बैक रेगुलेटर का निर्माण किया जाना ही उचित होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि बैक रेगुलेटर के निर्माण हेतु इस खण्ड को वित्तीय /तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

पत्रांक: 1314 /सिनिखगा/ डी/व.स.-10/बैक रेगुलेटर तददिनांक 23-04-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल गाजियाबाद।
2. सहायक अभियन्ता, चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

28-4-19

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

सलग्नक-13

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

प्रेषित,

वरिष्ठ प्रबन्धक,
वर्क सर्किल-10,
नौएडा विकास प्राधिकरण, नौएडा
गौतमबुद्ध नगर।

कार्यालय वरिष्ठ प्रबंधक, वर्क सर्किल-10 सैक्टर-6, नौएडा
डिसपैच नं०: 20/9/2020

पत्रांक : 2553/ सिनिखगा   दिनांक : 30/09/2020

विषयः- जनपद गौतमबुद्ध नगर में हिण्डन यमुना दोआब बन्ध के किमी 12.000 पर रेगुलेटर बनाने के कार्य का प्रायालन डी0एस0आर0-2018 के आधार पर बनाकर प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगतनीय है कि दिनांक 04.09.2020 को महाप्रबन्धक, नौएडा विकास प्राधिकरण, नौएडा के कार्यालय में हुई बैठक में लिये गये निर्णय के कम में महाप्रबन्धक नौएडा विकास प्राधिकरण, नौएडा की वांछनानुसार पूर्व में प्रेषित रेगुलेटर बनाने के प्राक्कलन को डी0एस0आर0-2018 पर संशोधन कर धनराशि रू0 2525.67 लाख का बनाकर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि रेगुलेटर बनाने के लिये कार्यवाही कर सूचित करने का कष्ट करे।

सलंग्नकः- उपरोक्तानुसार।

30.09.2020

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

पत्रांक :   / सिनिखगा दिनांक :   /   /2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नौएडा विकास प्राधिकरण, नौएडा, गौतमबुद्ध नगर।
2. सहायक अभियन्ता, उपखण्ड-चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक -14

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

प्रेषित,

वरिश्ठ प्रवंधक,
वर्क सर्किल–10, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक: 2281 / सिनिखगा0 / प्रा0अनु0रेगूलेटर /   दिनांक: 05/10/23

विषय: नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा द्वारा विकसित सैक्टर–150 में वरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने हेतु हैड रेगुलेटर के निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक नोएडा / व0प्र0 (व0स0–10) / 2023 / 3001 दिनांक 14.07.2023, आपका पत्रांक नोएडा / व0प्र0 (व0स0–10) / 2023 / 3407 दिनांक 26.09.2023 एवं आपका पत्रांक नोएडा / मु0प0अ0 / 2015 / 563 दिनांक 28.08.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के कम में अवगत कराना है कि सैक्टर–150पर प्रस्तावित हैड रेगुलेटर के निर्माण हेतु दिनांक 04.10.2023 को कार्यस्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित रहे।

1. श्री श्रीपाल भाटी, डी0जी0एम0 (सिविल), नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर।
2. श्री आर0पी0सिंह, डी0जी0एम0 (जल), नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर।
3. श्री के0वी0 सिंह, वरिष्ट प्रवंधक, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर।
4. श्री सुरेश कुमार, सहायक प्रवंधक, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर।
5. श्री छत्रप्रताप सिंह रावल, सहायक अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।
6. श्री मुकेश कुमार जैन, सहायक अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।
7. श्री रामवीर सिंह, जूनियर इंजीनियर, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।
8. श्री परवीन कुमार, जूनियर इंजीनियर, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।
9. श्री विमल कुमार, जूनियर इंजीनियर, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के द्वारा पूर्व में अवगत कराया गया था कि विकासाधीन सैक्टर 150 में वरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित किया जाना है। जिसके लिए रेगुलेटर बनाये जाने की वांछना सिंचाई विभाग से की गयी थी,जिसके निर्माण हेतु सर्वेक्षण, डिजाईन एवं ड्राइंग के लिए आपके कार्यालय के पत्रांक नोएडा परि0अभि0–व0स0–10 / 16 / 1198 दिनांक 03.02.2016 के द्वारा धनराशि रू0 13.50 लाख इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी थी। उक्त धनराशि से आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के अनुसार रेगुलेटर के कार्य का डिजाईन एवं ड्राईंग कन्सलटेन्ट से तैयार कर आई0आई0टी0 दिल्ली से वैट कराया गया, जिसमें रेगुलेटर के गेट मैकेनिकल थे। दिनांक 04.10.2023 को निरीक्षण के दौरान आपके द्वारा अवगत कराया गया कि अन्य सैक्टरों को भी इसी नाले में जोडा गया है, जिसके कारण सम्भवतः नाले का डिस्चार्ज वढ़ जायेगा। श्री आर0पी0 सिंह, डी0जी0एम0 (जल) नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि रेगुलेटर में हाईड्रोलिक / न्यूमैटिक गेटों का ही प्राविधान किया जाये। उपरोक्त परिस्थतियों के दृश्टिगत पूर्व में रेगुलेटर के लिए जो डिजाईन एवं ड्राईग वनवायी गयी थी, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। अतः रेगुलेटर के पुनः सर्वेक्षण, डिजाईन एवं ड्राईग हेतु धनराशि रू0 30.00 लाख एवं नालो के कास सैक्शन्स, एल सैक्शन्स तथा ले आउट प्लान के साथ ही निम्नलिखित डाटा की आवश्यकता होगी, कृपया तदानुसार आवश्यक कार्यवाही कर डाटा एवं धनराशि उपलब्ध करने का कष्ट करें।

1. वरसाती नाले का अधिकतम डिस्चार्ज।
2. वरसाती नाले की वाटर डैप्थ व लेवलस।
3. वरसाती नाले का Longitudinal Slope
4. वरसाती नाले का फ्री बोर्ड।
5. वरसाती नाले के डिस्चार्ज में प्रयुक्त "N" की वैल्यू।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

पत्रांक: 2281 / सिनिखगा0 / प्रा0अनु0रेगूलेटर /   दिनांक: 05/10/23

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता, चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद को उनके पत्रांक 216 / स0अ0–चतुर्थ / दिनांक 06.10.2023 के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

Scanned with OKEN Scanner

Annexure P/13

संलग्नक -15

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-10, सैक्टर-6, नोएडा।

पत्रांकः नोएडा / व.प्र.(व.स.-10) / 2025 / 1803
दिनांकः 24/04/2025

सी अभियन्ता
: निर्माण खण्ड
ोनगर, गाजियाबाद
ा कविनगर के सामने), उत्तर प्रदेश

यः-नोएडा प्राधिकरण, द्वारा विकसित सैक्टर- 150 में बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने हेतु हैड रेगुलेटर के निर्माण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत अपने पत्र सं0 2064 / सिनिखगा / ग्रा0अनु0रेगूलेटर / दिनांक 29.07.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से उपरोक्त विषयक गठित एम0ओ0यू0 के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने की मांग की गई है। उपरोक्त के क्रम में चैक संख्या 778224 दिनांक 21.04.2025 Canara Bank धनराशि रु0 30,00,000.00 (रु0 तीस लाख मात्र) पत्र के साथ संलग्न करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार चैक मूलरूप में।

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-10, नोएडा।

प्रतिलिपिः-
1. निजि सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.के.) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. उप महाप्रबन्धक (सिविल) महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. प्रबन्धक (ए) वर्क सर्किल-10, नोएडा।
4. श्री सिद्धार्थ नागर, अवर अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कार्यालय पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-10, नोएडा।

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

Annexure P/14

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

संलग्नक-16

प्रेषित,

वरिष्ठ प्रबन्धक (वर्क सर्किल-10),
नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक: 3094 /सिनिखगा0/ दिनांक: 25.08.25

विषय: नोएडा प्राधिकरण द्वारा विकसित सैक्टर-150 में बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने हेतु रेगूलेटर के निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक-नोएडा/व0प्र0(व0स0-10)/2025/2001, दिनांक 26.05.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, उक्त के क्रम में सैक्टर-150 के निकट अन्य सैक्टरों के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने के लिए एक प्राक्कलन "Constrcution of head regulator and drain at km. 12.000 of Hindon Yamuna Doab Bund in District Gautambudh Nagar(Sector-150 Noida)" धनराशि रू0 2661.31 लाख का तैयार कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त कार्य को समयबद्ध रूप से सम्पादन कराने हेतु वित्तीय/सैद्धांतिक स्वीकृति इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- प्राक्कलन की प्रति।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

पत्रांक: /सिनिखगा0/तदिनांक:

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वरिष्ठ प्रबन्धक (वर्क सर्किल-10), नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–10, सैक्टर–6, नौएडा

पत्रांकः नौएडा/व0प्र0.(व.स.–10)/2026/3361
दिनांकः 30/1/26

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
सिंचाई निर्माण खण्ड
शास्त्री नगर, गाजियाबाद–201002
(थाना कविनगर के सामने)
Email: ee_icdgzb@yahoo.in

विषयः– नौएडा द्वारा विकसित सैक्टर–148 एवं 150 में बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने हेतु हैड रेगुलेटर के निर्माण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु आपके पत्र सं0 3094/सि0नि0ख0 दिनांक 25.08.2025 के माध्यम से वर्क सर्किल को प्रेषित आगणन धनराशि रु0 2661.31 लाख के प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति सक्षम स्तर द्वारा दिनांक 29.01.2026 को प्रदान की जा चुकी है। अतः प्रश्नगत अतिमहत्वपूर्ण परियोजना को यथाशीघ्र क्रियान्वित किये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल–10, नौएडा

प्रतिलिपिः–
- निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.पी.) महोदय के सादर सूचनार्थ।
- महाप्रबन्धक (ए.के.) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- उप महाप्रबन्धक (सिविल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/अवर अभियन्ता वर्क सर्किल–10, नौएडा को उपलब्ध करायी गयी आख्या के क्रम में।

30.1.26
वरिष्ठ प्रबन्धक
o/c वर्क सर्किल–10, नौएडा

Scanned with OKEN Scanner

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–10, सैक्टर–6, नौएडा

पत्रांकः नौएडा/व0प्र0(व.स.–10)/2026/336/
दिनांकः 30/01/26

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
सिंचाई निर्माण खण्ड
शास्त्री नगर, गाजियाबाद–201002
(थाना कविनगर के सामने)
Email: ee_icdgzb@yahoo.in

विषयः– नौएडा द्वारा विकसित सैक्टर–148 एवं 150 में बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने हेतु हैड रेगुलेटर के निर्माण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु आपके पत्र सं0 3094/सि0नि0ख0 दिनांक 25.08.2025 के माध्यम से वर्क सर्किल को प्रेषित आगणन धनराशि रु0 2661.31 लाख के प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति सक्षम स्तर द्वारा दिनांक 29.01.2026 को प्रदान की जा चुकी है। अतः प्रश्नगत अतिमहत्वपूर्ण परियोजना को यथाशीघ्र क्रियान्वित किये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

30.1.26

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल–10, नौएडा

प्रतिलिपिः–
- निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.पी.) महोदय के सादर सूचनार्थ।
- महाप्रबन्धक (ए.के.) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- उप महाप्रबन्धक (सिविल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/अवर अभियन्ता वर्क सर्किल–10, नौएडा को उपलब्ध करायी गयी आख्या के क्रम में।

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल–10, नौएडा

श्री/श्रीमती/कु0 सहायक / A.E. 12
संगणक/प्रारूपकार/वै0 सहा0/प्रशा0 अधि0
अधि0 अभि0 05-2-26

सिंचाई निर्माण खण्ड
डायरी सं0 524
05/02/26

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक.

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

प्रेषित,

वरिष्ठ प्रबंधक, (वर्क सर्किल–10),
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सैक्टर–6, नौएडा।

पत्राकः 616 /सिनिखगा0/ दिनांकः 09/02/26

विषयः नौएडा प्राधिकरण द्वारा विकसित सैक्टर–150 में बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने हेतु हैड रेगूलेटर के निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका पत्रांक नौएडा/व.प्र.(व.स.–10)/2025/2001 दिनांक 26.05.2025।
इस कार्यालय का पत्रांक 3094/सिनिखगा दिनांक 25.08.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के कम में अवगत कराना है कि सैक्टर–150 के निकट सैक्टरों के बरसाती पानी को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने के लिये संशोधित प्राक्कलन धनराशि रू0 3139.66 लाख इस आशय से प्रेषित है कि प्रस्तावित रेगूलेटर के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः संशोधित प्राक्कलन धनराशि रू0 3139.66 लाख

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड,
गाजियाबाद

पत्रांकः /सिनिखगा0/ दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ओखला, नई दिल्ली।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।
3. उप महाप्रबंधक (सिविल),नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण सैक्टर–6, नौएडा।
4. सहायक अभियन्ता, चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड,
गाजियाबाद

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबन्धक,
वर्क सर्किल–10,
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
जिला गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक :– 665 /सि0नि0ख0गा0/ दिनांकः– 13/02/2026

विषयः– सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर में **Construction of Head Regulator and Drain at Km. 12.000 of Hindon Yamuna Doab Bund in Distt-Gautambudh Nagar (Sector-150 Noida)** के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक –नोएडा/व0प्र0(व0स0–10)2026/3361, दिनांक 30.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर में हिण्डन नदी के दायें किनारे पर स्थित हिण्डन यमुना दोआब बंध के किमी0 12.000 पर Construction of Head Regulator and Drain at Km. 12.000 of Hindon Yamuna Doab Bund in Distt-Gautambudh Nagar (Sector-150 Noida) कार्य हेतु धनराशि रू0 3139.66 लाख के क्रियान्वयन हेतु नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद के मध्य एम0ओ0यू0 गठन हेतु एम0ओ0यू0 ड्राफ्ट की वांछना की गई है।

अतः "जनपद गौतमबुद्धनगर में "**Construction of Head Regulator and Drain at Km. 12.000 of Hindon Yamuna Doab Bund in Distt-Gautambudh Nagar (Sector-150 Noida)** के कार्य, जिसकी स्वीकृत आगणित धनराशि रू0 3139.66 लाख (रू0 इक्त्तीस करोड़ उन्तालीस लाख छियासठ हजार मात्र) है, का एम0ओ0यू0 गठन हेतु एम0ओ0यू0 ड्राफ्ट मूल रूप में संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–एम0ओ0यू0 मूल रूप में।

13.02.26

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

पत्रांक :– /सि0नि0ख0गा0/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, ओखला।
2– अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।
3– सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

Scanned with OKEN Scanner